ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-5 अंक : 51

सहयोग शुल्क : रु. 1 / मार्च : 2021

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

❝ दिव्यांगो के कार्यो में महायक बनना
समाज एवं सरकार का कर्तव्य है। ❞
– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

❝ दिव्यांग की मदद के लिये हम सदैव तत्पर रहे,
यह भी मानवता का एक सोपान है। ❞
– मुख्यमंत्री विजयभाई रुपाणी (गुजरात राज्य)

❝ दिव्यांगजनों के सेवायज्ञ में
सहभागी होना हमारा सौभाग्य है। ❞
– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

''जो शरीर से दिव्यांग होते है, वो विचारों से दिव्यांग कभी नही होते, कोशिश करने से वो हर मुश्कील और असंभव कार्य भी कर लेते है।''

अगर मन में हो उमंग और जीवन में कुछ कर दिखाने की ललक है। तो दिव्यांगता की अडचन कभी भी प्रगति के रास्ते में बीच में नही आती। इस क्रम में अवरोध तब पैदा होता है जब निजी असक्षमता को लेकर मनुष्य अपनी सामर्थ्य को कम करके आंकना शुरु करता है। पर सच्चाई यह है की उसकी असमर्थता शारिरीक कम, मानसिक ज्यादा होती है। भौतिक अंग-अवयवो की कमी कीसी की प्रतिभा के प्रकट - प्रत्यक्ष होने में उतनी बाधा पैदा नही करती जितनी की मन की हताशा। इसे यदी दूर कीया जा सके तो कोई कारण नही की दिव्यांग स्तर के व्यक्ति भी अपनी संपुर्ण क्षमता एवं प्रतिभा का परिचय दुनिया को न दे शके।

हर एक दिव्यांग व्यक्ति अपने मजबुत इरादे और बुलंद हौंसलो के सहारे दिव्यांग से 'दिव्य' बनने की क्षमता रखता है। बस दिव्यांग से 'दिव्य' बनने तक की सफर तय करने के लिए जरुरत होती है। सकारात्मक विचार, द्रढ ईच्छाशक्ति और मजबुत इरादो की.... इसलिए कहेना चाहता हुं की आज ही अपनी दिव्यांगता के बारे सोचना बंध कर दे और जिंदगी में कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ एक नई जींदगी की शरुआत करे...

आप सभी को निवेदन है की ''दिव्यांग सेतु'' पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास दिव्यांगजनो के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्यौरा आप हमें भेज सकते है। हम इसे प्रकाशीत करेंगे।

आओ, आप भी दिव्यांगजनों के इस सेवायज्ञ में हमारा साथ दे...

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

मार्च : 2021, पृष्ठ संख्या : 16
वर्ष : 5 अंक : 51

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के सूटेबल 3566 प्रकार के सरकारी पदों की लिस्ट जारी की ।

४ , जनवरी २०२१ को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी की है । इसमें भारत सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों जैसे केंद्रीय मंत्रालयो, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो और स्वायत्त निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों के सूटेबल कुल ३५६६ (तीन हजार पांच सौ छियासठ) प्रकार के सरकारी पदों की पहचान कर इसकी सूची जारी की गई है । इन पदों को ग्रुप ए. बी. सी एवं डी की श्रेणियों में विभाजित किया गया है । ग्रुप ए की श्रेणी में कुल १०४६ प्रकार के पदों को शामिल किया गया है, उदाहरण स्वरुप महाप्रबंधक (वित्त), सचिव, मुख्य प्रशासन अधिकारी, मुख्य अभियंता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इत्यादि ।

ग्रुप बी की श्रेणी में कुल ५१५ प्रकार के पदों को शामिल किया गया है, जैसे वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), पीजीटी इत्यादि ।

ग्रुप सी में कुल १७२४ पदों को शामिल किया गया है, जैसे कार्यालय सहायक, क्लर्क सह टाइपिस्ट, मैकेनिक, बढ़ई, उद्यान पर्यवेक्षक, मुख्य रसोईया, कपड़े धोने का प्रबंधक इत्यादि ।

जबकि ग्रुप डी में कुल २८१ प्रकार के पदों को शामिल किया गया है, जैसे चपरासी, अटेंडेंट, लिफ्टमैन, सेमी स्किल्ड वर्कर, वार्ड बॉय, वार्ड आया, दाई एवं स्वीपर इत्यादि ।

इस प्रकार, यह व्यक्तियों को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक पहल है, जो इनके रोजगार के दायरे को बढ़ाता है।

यह सूची दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति, जिसमें अलग-अलग दिव्यांगता के विशेषज्ञ, संबंधित मंत्रालय एवं दिव्यांगों के लिए कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण शामिल थे, की सिफारिशों के आधार पर जारी की गई है। इस सूची की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट २०१६ में उल्लिखित बेंचमार्क दिव्यांगजन की सभी श्रेणियों के लिए पदों की पहचान व्यक्ति के कार्यात्मक जरुरतों जैसे - बैठने, खड़े होने, चलने, झुकने, उंगलियों से परिचालन, रीडिंग - राइटिंग, देखना, कम्युनिकेशन कौशल इत्यादि के आधार पर की गई है।

बेंचमार्क दिव्यांगजन का अर्थ।

यहां बेंचमार्क दिव्यांगजन से तात्पर्य दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम (आरपीडबल्यूडी एक्ट), २०१६ में उल्लिखित २१ प्रकार के सभी दिव्यांगजन जैसे गति विषयक या लोकोमोटर दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ उपचारित व्यक्ति, बौनेपन वाले, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड हमले से पीड़ित, नेत्रहीन, कम दृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाले, स्पीच एवं लैंग्वेज दिव्यांगता वाले, बौद्धिक दिव्यांग, विशिष्ट अधिगम दिव्यांग, ऑटिस्टिक, मानसिक रुग्ण, बहू स्कलेरोसिस, पार्किसन रोग वाले, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज एवं बहु- दिव्यांग व्यक्तियों से है, जिसके विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र अथवा यूडी आईडी कार्ड में स्थाई दिव्यांगता ४० प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंकित किया गया हो अथवा किसी अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा स्थाई दिव्यांगता ४० प्रतिशत अथवा अधिक प्रमाणित किया गया हो।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिसूचित पदों की सूची विस्तृत अथवा संपूर्ण सूची नहीं है। बल्कि, मात्र सांकेतिक है। यदि इस सूची में किसी पद का उल्लेख नहीं हुआ है, इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि उन पदों को छूट दे दी गई है। बल्कि, सरकारी प्रतिष्ठान दिव्यांगता से संबंधित श्रेणियों के लिए पहचाने गए पदों की सूची में उसे जोडं कर सूची को और पूरक कर सकते हैं। साथ ही बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए रखा गया है, तो यह माना जाएगा कि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले श्रेणी के लिए उसकी पहचान जा चुकी है।

विदित हो कि दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रुप से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६ की धारा ३४ की उप धारा १ के तहत विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इस अधिनियम की धारा ३३ में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण हेतु पदों की पहचान और इसके लिए संबंधित दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी प्रावधान है।

हालांकि इसके पूर्व भी नि-शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, १९९५ की धारा ३२ के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या १६-१५-२०१० डीडी - ३

दिनांक २९-७-२०१३ के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के सूटेबल कुल २९७३ (दो हजार नौ सौ तेहत्तर) पदों की एक सूची जारी की थी। परंतु, उस समय इस सूची में ३ प्रतिशत आरक्षण हेतु सिर्फ सेरेब्रल पाल्सी सहित लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दृष्टिबाधित एवं श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों को ही शामिल किया गया था। इस प्रकार पूर्व नोटिफाइड सूची की तुलना में इस सूची में ५९३ नए प्रकार के पदों को शामिल किए गए हैं।

दिव्यांग रजतकुमार की सफलता की कहानी...

नही थे दोनों हाथ, मुँह से पकडी कलम, NEET सहित कंई परिक्षाओं में हुआ चयन... मुंह से पेन पकडकर NEET की परिक्षा देनेवाला रजत, अब पैरों से स्टेथोस्कोप पकडकर करेगा मरिजों का इलाज ।

हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा छात्र जिन्होंने अपने दोनो हाथो से दिव्यांग होते हुए भी नीट-२०१९ की परिक्षा उतीर्ण कीया । ये छात्रने कभी भी कीसी परिक्षा में अपने लिए कोई राइटर लिया नही है । आज हम ऐसे ही प्रतिभावान छात्र रजत से अवगत करवाने जा रहे है...

अपने मजबुत इरादे और दृढ इच्छाशक्ति के बलबुते हिमाचल प्रदेश के कुल्लु के रहनेवाले रजतकुमारने नामुमकीन लगनेवाले कारनामे को मुमकीन कर दिखाया है, जो की दुसरे सभी दिव्यांग छात्रों के लिए एक मिसाल है । रजत के दोनों हाथ नही है फीर भी उन्होंने २०१९ की राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परिक्षा को १५० अंको के साथ रैंक कीया । रजत कुमारने नीट परिक्षा में दिव्यांग कोटे के अंतर्गत १४ वीं रैंक प्राप्त की है । वह बचपन से ही पढने-लिखने में काफी तेज था । अपने पढने-लीखने के सभी कार्य मुँह से, पैर से बीना कीसी की मदद लिए करते है । रजतने अपने मजबुत इरादों को उसी समय प्रदर्शित कर दीया था की जब उन्होंने हिमाचल स्कुल शिक्षा बोर्ड - धर्मशाला द्वारा आयोजित हाइस्कुल की परिक्षा में ७०० में से ६१३ अंक, जबकी इसी बोर्ड द्वारा आयोजित इंटरमिडीएट की परिक्षा में विज्ञान वर्ग में ५०० में से ४०४ अंक हांसिल किया था ।

दिव्यांगता भी हारी रजत से....

रजत पढ़ाई के साथ-साथ ही बहेतरीन चित्रकारी भी करतें है। रजत अपनी चित्रकारी भी करतें है। रजत अपनी चित्रकारी मुँह से ब्रश पकडकर ही करते है। स्कुल की प्रत्येक पेंटिंग प्रतियोगिता में विनर रजत कुमार ही रहा करते है। अपने बेटे की इस सफलता पर उनके शिक्षक पिता जयराम और माता बेहद खुश है।

रजत कुमार के साथ बचपन में हुइ दुर्धटना के बारे में उनके माता-पिता बताते है की एक दिन जब रजत अपने पैतृक घर के आंगन में खेल रहा था उसी समय उपर से एचटी लाइन से उसे करंट लगा और उनके दोनों हाथ कटाने पडे थे। उनके माता-पिता कहते है की इतनी बडी दुर्घटना होने के बावजुद भी रजतने कभी अपनी हिंमत नही हारी। इसी का परीणाम है की रजत अपनी महेनत के बल पर आज नीट - २०१९ की परिक्षा को रैंक कर दिये।

दिव्यांग रजत हर एक इन्सान के लिए एक प्रेरणास्त्रोत है। रजत का बुलंद होंसला हर कीसी को चुनौतीयों से लडकर आगे बढना और अपने मुकाम तक पहुँचना सिखाता है।

हौंसलो से उडान पर दिव्यांग शिवराज, प्रतिभाओ को निखारने के लीये रहा है कुछ ऐसा ।

निशानेबाज शिवराज की बदौलत अब नागौर क्षेत्र के किसानों के बच्चों के हाथ में हल के साथ राइफल भी देखने को मिल रही है ।

राजस्थान के मेड़ता सिटी के दिव्यांग शिवराज सांखलाने अपने जीवन में हौंसलो के दम पर मुकाम हांसिल करना सीखा है । और अपने बुलंद हौंसलो से उसने अपने जीवन में सफलता की कहानी खुद लीखी है । जन्म से ही दिव्यांग होने के बावजुद शिवराजने जिंदगी जीने का मकसद तय कीया और आज इसने घर-घर निशानेबाज तैयार करने का संकल्प लीया है । निशानेबाज शिवराज की बदौलत आज इस क्षेत्र के किसानो के बच्चों के हाथ में हल के साथ राइफल भी देखने को मिल रही है । नागौर मेड़ता सिटी के रहनेवाले शिवराज को अपनों की अंगुली तो मिली मगर दोनो पैरो से दिव्यांग होने के कारण चलना नसीब नही हो सका । छोटी उम्र में पिता का साया भी उठ गया जिसके कारण शिवराज पर दुःखो का पहाड टूट गया ।

शिवराजने अपनी दिव्यांगता को नजर अंदाज करते हुए जीने का मकसद तय कीया और अपने गाँव से ८० किलोमीटर दूर अजमेर शहर में निशानेबाजी का दो साल प्रशिक्षण लीया । इसके बाद चार बार राष्ट्रीय व राज्य स्तर पैराशूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड, रजत व कांस्य पदक जीते । भारतीय पैराशुटिंग टीम के टोप १० के शूटर है शिवराज । शिवराज अपने गाँव में मारवार शुटिंग एकडमी खेल के ऐसे सेंकडो निशानेबाज तैयार कर रहा है, जो आगामी दिनो में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निशानेबाजी की छाप छोडेंगे । कस्बे के आस-पास के करीब सेंकडो गाँव से आये बच्चो के लिए प्रेरणास्त्रोत बने, शिवराज का बस अब एक ही सपना है ग्रासरुट की प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जगह मिले जो वो खुद हांसिल नहीं कर सके ।

हालांकी निशानेबाज शिवराज खुद ऑलम्पिक में भाग लेने का प्रयास कर रहा है । इससे पहले शिवराज का २०१९ में भारतीय पैराशुटिंग में चयन हुआ था लेकीन स्पॉन्सरशिप नही मिलने के कारण शाहजहाँ में आयोजित हुए अंतरराष्ट्रीय पैराशुटींग विश्वकप में भाग नही ले सका । क्योंकी सरकार टॉप तीन को ही प्रतियोगिता में भेजती है । बाकी निशानेबाजों को अपने स्तर पर जाना पडता है । लेकीन शिवराजने अभी भी हींमत नही हारी है । उनका सपनों का प्रयास जारी है ।

हौंसलों से उड़ान पर दिव्यांग शिवराज. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

वोइस टू दिव्यांग

लुइस ब्रेल जिन्होंने लाखों दृष्टिबाधितों को दिखाई दुनिया

बहादुर वे नहीं होते जो अपनी कमियों को कमजोरी समझकर जीते हैं, बहादुर वे होते हैं जो कमियों को चुनौती मानकर जीने की नई राह हासिल करते हैं। दुनिया में लाखों लोग एसे हैं जिनमें कुछ न कुछ कमियां हैं पर, बहुत कम लोग हैं जो कमियों को जीवन की बाधा न बनने देकर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि उनकी कमियां खामोशी के साथ उनके आगे नतमस्तक हो उठती हैं। लुइस ब्रेल एक ऐसा ही नाम है जो एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी गंवाने के बावजूद लाखों दृष्टिबाधितों को दुनिया दिखाने का सहारा बने।

लुइस ब्रेल का जन्म ४ जनवरी १८०९ को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कुप्रे में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल घोड़ों की काठी बनाने का काम करते थे। लुइस के परिवार में चार भाई-बहन थे, जिसमें लुइस सबसे छोटे थे। लुइस जब मात्र ३ वर्ष के थे तब उनकी आंख में नुकीला औजार लग जाने से गंभीर चोट आई थी जिसके इन्फेक्शन से उनकी एक और फिर कुछ समय बाद दूसरी आंख की रोशनी भी पूरी तरह चली गई। दुनिया को जानने की जिज्ञासा और पढ़ाई में लुइस की दिलचस्पी को देखते हुए लुइस के पिता साइमन ने उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस के नेशनल 'इंस्टीट्यूट' फॉर ब्लाइंड यूथ' में दाखिला दिला दिया। यहां लुइस ने मैथ्स, फिजिक्स आदि विषयों को अच्छी तरह समझ लिया था।

शिक्षा के दौरान लुइस की मुलाकात फ्रांसीसी सैनिक 'चार्ल्स बार्बियर' से हुई। बार्बियर ने लुइस को सैनिकों के लिए बनी नाइट राइटिंग 'मून टाइप' लिपि के बारे में बताया जिसे अंधेरे में पढ़ा जा सकता था। यह लिपि कागज पर उभरी हुई थी जिसे १२ वाइंट्स से अलग-अलग ध्वनियों के आधार पर कोडमय किया गया था। बार्बियर की बताई लिपि से लुइस काफी प्रभावित थे और इसी आधार पर उन्होंने मात्र १६ साल की उम्र में एक ऐसी लिपि की रचना की जो दृष्टिबाधितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी।

लुइस की बनाई लिपि बार्बियर की उल्लेखित लिपि की कई जटिलताओं को दूर करती थी और उससे काफी सरल और आसानी से समझ में आने वाली थी। बार्बियर की लिपि में जहां १२ बिन्दुओं को ६-६ की पंक्तियों में रखा गया था और जिसमें विराम चिन्ह, संख्या और गणितीय चिन्हों का समावेश नहीं हुआ था।

वोइस टू दिव्यांग

लुइस ब्रेल ने अपनी लिपि में सिर्फ ६ बिन्दुओं का प्रयोग किया और ६४ अक्षर और चिन्ह बनाए, इस लिपि में संगीत के नोटेशन और विराम चिन्हों को भी शामिल किया गया। लुइस ब्रेल की खोज इस नई लिपि को ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। इस लिपि में लिखी पहली पुस्तक १८२९ में प्रकाशित हुई।

आंखे न होने के बावजूद लुइस ब्रेल ने वो आविष्कार कर दिखाया था जिसकी बदौलत हजारों दिव्यांग न सिर्फ स्कूल कालेजों में दूसरे विद्यार्थियों की तरह पढ़ लिख पाए बल्कि आत्मविश्वास के साथ दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। यह ब्रेल लिपि ही थी जिसकी सहायता से आज नेत्रहीन नौकरी, व्यवसाय इत्यादि वे सभी काम कर पा रहे हैं जिनके बारे में कभी उनके लिए सोचना भी मुमकिन नहीं था।

बात करते हैं आज के तकनीकी युग की तो उसमें भी दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि ही काम आ रही है। इस लिपि के प्रयोग से कई तकनीकी गैजेट्स बी टच सेलफोन, स्मार्टवॉच इत्यादि बनाए जा चुके हैं जिनके स्क्रीन पर ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसके जरिए दृष्टिबाधित समाज की मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं।

लुइस ब्रेल की खोज उनकी ब्रेल लिपि किसी देश विशेष के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिव्यांगों के लिए वरदान साबित हुई है। भारत सरकार ने लुइस ब्रेल के जन्म दिन पर उनके सम्मान में ४ जनवरी २००९ को एक डाक टिकिट भी जारी किया था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारी करेंसी में ब्रेल लिपि के विशेष चिन्हों को शामिल किया जिनसे नेत्रहीनों को असली और नकली नोट की पहचान करने में मदद मिलती है।

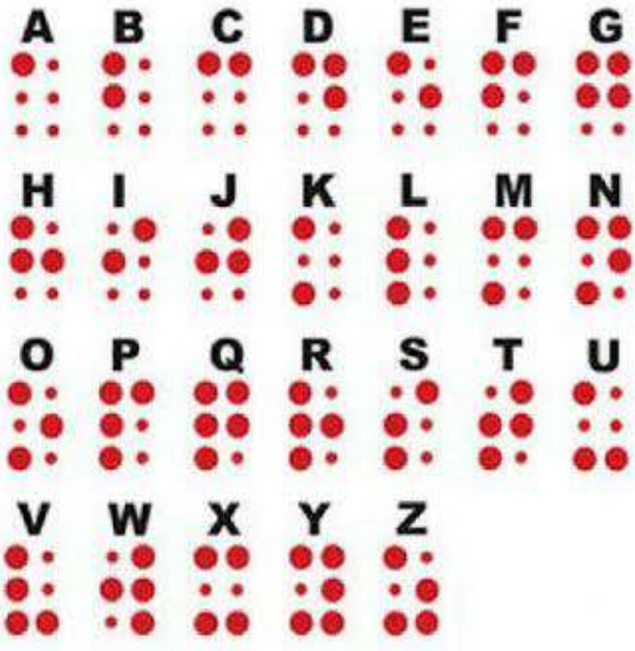

वोइस टू दिव्यांग

अब हर स्कूल में बनवाए जाएंगे दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय ।

परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी खबर हैं । अब उन्हें सुलभ शौचालय के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा । पंचायतीराज विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचालित परिषदीय स्कूलों में दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय का निर्माण कराएगा । इसके लिए धनराशि ग्रामनिधि से उपलब्ध कराई जाएगी ।

शौचालय निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने मॉडल स्टीमेट तैयार किया है । शौचालय निर्माण कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है ।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत गांव में रहने वाले बच्चों को कक्षा एक से आठ तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है । ये लाभ शारीरिक रुप से स्वस्थ व दिव्यांग बच्चों को समान रुप से उपलब्ध कराई जाती है । परिषदीय स्कूलों में बने शौचालय में रैंप व अन्य सुविधाएं न होने से दिव्यांग छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था । शासन ने अब हर स्कूल में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधायुक्त शौचालय का निर्माण कराने का फैसला किया है । शौचालय का निर्माण ग्राम पंचायतें पंचम राज्य वित्त व १५वें वित्त आयोग से आवंटित धनराशि से कराई जाएगी । इसके लिए मॉडल स्टीमेट स्वीकृत कर दिया गया है । डीपीआरओ सभाजीत पांडेय ने सभी ब्लॉक के बीडीओ व एडीओ पंचायत को शौचालय निर्माण करने का निर्देश दिया है ।

अलग-अलग खर्च होगी धनराशि

शौचालय निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने मॉडल स्टीमेट तैयार किया है । शौचालय निर्माण अलग-अलग धनराशि खर्च करने के मानक तय किए गए हैं । यदि स्कूल में शौचालय नहीं है तो नया शौचालय निर्माण कराने के लिए १.४७ लाख रुपये खर्च किए गए हैं । शौचालय में रैंप आदि की व्यवस्था के लिए ५४ हजार रुपये खर्च किए जाएंगे ।

★ बौनापन (Dwarfism) ★

दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के पूर्व बौनेपन के शिकार व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की रियायत नहीं थी सिवाय उपहास या मजाक या आनंद के विषय के। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांग जन की २१ श्रेणियों में बौनापन अर्थात **Dwarfism** एक प्रकार की दिव्यांग की श्रेणी है और अधिनियम के अधीन प्राविधान के प्रकाश दिव्यांग जन हेतु योजनाओं के लाभ के लिए पात्र है। बौनापन के विषय में आम जन मानस की जागरुकता हेतु कुछ महत्व पूर्ण जानकारी यहा पर प्रस्तुत की है।

What is Dwarfism?

- Is short stature resulting from a particular medical condition.
- An adult height of 4 feet 10 inches or under.
- Dwarfism is not a disease.
- There is a greater risk of some health problems.

★ बौनापन क्या है ? ★

बौनापन इंसानों में आनुवांशिक या चिकित्सा स्थिति के कारण लम्बाई कम होने को कहा जाता है। बौनापन आमतौर पर ४ फीट १० इंच या उससे कम की वयस्क लोगों की औसत लम्बाई ४ फीट होती है।

अधिकतर जिन माता-पिता की औसत लम्बाई होती है, उनके बच्चों में बौनापन देखने को मिलता है।

बौनेपन से होने वाली समस्याओं से अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। जीवनभर नियमित जांच कराना महत्वपूर्ण है। उचित चिकित्सा देखभाल से अधिकांश बौने लोग आम लोगों जैसे सक्रिय और उनके बराबर लम्बी ज़िन्दगी ही जीते हैं।

★ बौनापन के प्रकार ★

कई अलग-अलग चिकित्सीय स्थितियों की वजह से बौनापन होता है। आम तौर पर इस विकार को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

डिस्प्रोपोर्शनेट बौनापन :-

यदि शरीर का आकार असमान है, तो शरीर के कुछ हिस्से छोटे होते हैं, और अन्य हिस्से औसत आकार के या औसत से कुछ बड़े होते हैं। इससे होने वाले विकार से हड्डियों का विकास रुक जाता है।

प्रोपोर्शनेट बौनापन :-

शरीर के सभी हिस्से एक ही बराबर छोटे होते हैं और औसत आकार के शरीर की तरह बराबर अनुपात में होते हैं, जिससे पूरा शरीर आनुपातिक रुप से छोटा होता है। जन्म के समय से या शुरुआती बचपन में होने वाली चिकित्सा स्थितियों के कारण संपूर्ण विकास रुक जाता है।

★ बौनेपन के लक्षण ★

डिस्प्रोपोर्शनेट बौनापन :-

अधिकतर बौने लोगों को कुछ ऐसे विकार होते हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेट बौनापन का कारण बनते है । आम तौर पर, इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति का, औसत आकार का धड़ और बहुत छोटे हाथ-पैर होते हैं । लेकिन कुछ लोगों में बहुत छोटे धड़ के साथ-साथ, हाथ-पैर भी छोटे हो सकते हैं । इन विकारों में, सिर शरीर की तुलना में असमान रुप से बड़ा होता है।

डिस्प्रोपोर्शनेट बौनापन वाले अधिकतर सभी लोगों में सामान्य बौद्धिक क्षमताएं होती हैं । लेकिन कुछ बहुत ही कम ऐसे केस भी देखने को मिलें हैं जिनमे बौद्धिक क्षमताओं में कमी देखने को मिलती है । वो केस दूसरे कारणों का परिणाम होते हैं, जैसे मस्तिष्क के चारों ओर सामान्य से ज्यादा तरल पदार्थ का होना जिसे हाइड्रोसेफलस भी कहा जाता है ।

बौनेपन का सबसे आम कारण एक विकार है, जिसे एन्डोंड्रोप्लासिया कहा जाता है, जो असमान रुप से छोटे छोटे कद का कारण बनता है । यह विकार आमतौर पर निम्नलिखित परिणाम देता है -

शरीर के धड़ का औसत आकार होना

छोटे हाथ-पैर विशेष रुप से ऊपरी हाथ-पैर का छोटापन

छोटी अंगुलियां, अक्सर बीच वाली अंगुली और अनामिका अंगुली (रिंग फिंगर) के बीच में चौड़ा विभाजन

कोहनी में सीमित गतिशीलता, बड़ा सर, चौड़ा माथा और नाक का चपटा होना, धीरे-धीरे टांगों का बाहर की तरफ मुड़ते चले जाना, पीठ के निचले हिस्से का धीरे धीरे झुकते चले जाना, वयस्कों की ऊंचाई ४ फीट के आसपास होना ।

डिस्प्रोपोर्शनेट बौनापन का एक अन्य कारण एक तरह का दुर्लभ विकार है, जिसे स्पोंडिलोइपिफिसियल डिस्प्लेसिया कॉन्जेनिटा कहा जाता है । इसके संकेतों में यह भी शामिल हो सकते हैं जैसे छोटा ढाँचा, छोटी गर्दन, छोटी बाजुएं और टांगें, औसत आकार के हाथ और पैर, चौड़ा और फूला हुआ सीना, पिचके गाल, कटा हुआ तालु, कुल्हे की समस्या जिसके परिणामस्वरुप जांघों की हड्डियां अंदर की तरफ मुड़ जाती है, एक पैर का मुड़ जाना या उसका आकार ख़राब हो जाना, गर्दन की हड्डियों में अस्थिरता, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से का धीरे-धीरे झुकते चले जाना, आँखों को द्रष्टी और सुनने में समस्या, गठिया और जोड़ों की गतिविधि में समस्या, वयस्क की लम्बाई का ३ फीट (९१ सेमी) से लेकर ४ फीट (१२२ सेमी) तक होना ।

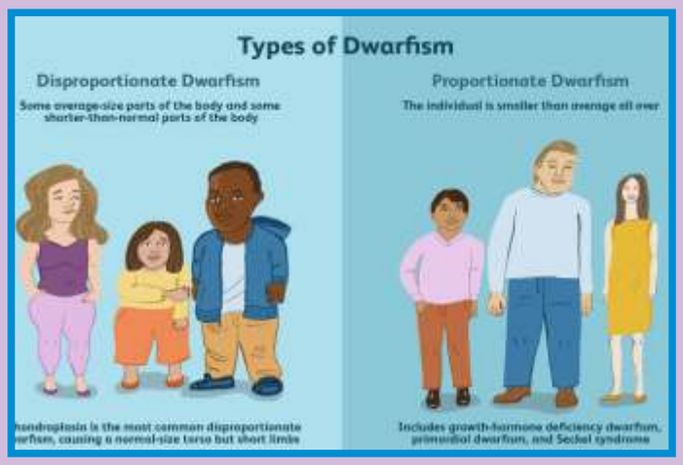

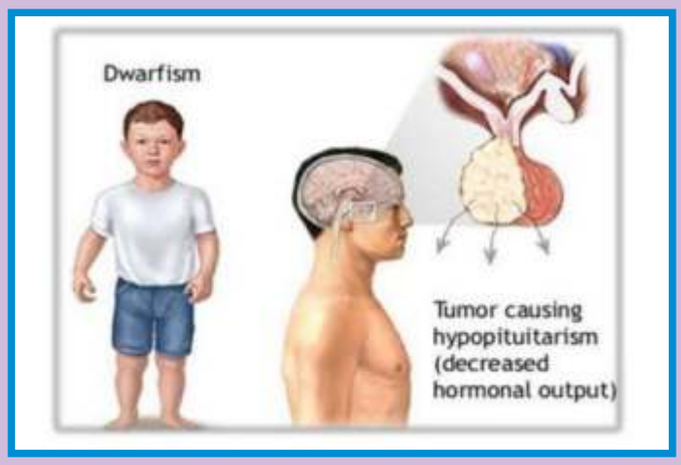

★ प्रोपोर्शनेट बौनापन ★

प्रोपोर्शनेट बौनापन जन्म से या बचपन में होने वाली चिकित्सा स्थितियों का परिणाम होता है जो संपूर्ण विकास में बाधा पैदा करता है। जिसके कारण सर, घड़ और सभी अंग छोटे होते हैं, लेकिन वे समान अनुपात में होते हैं। ये विकार संपूर्ण विकास को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से एक या अधिक शरीर की प्रणालियों का सही से विकास नहीं हो पाता है।

ग्रोथ हार्मोन की कभी, प्रोपोर्शनेट बौनापन का आम कारण है। ऐसा तब होता है जब पिट्यूटरी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन करने में विफल रहता है, जो बचपन में सामान्य विकास के लिए आवश्यक है। इसके लक्षणों में मानक बाल चिकित्सा विकास चार्ट पर तीसरे प्रतिशत से नीची लम्बाई, उम्र के अनुसार लम्बाई कम होना, किशोरों में देरी से यौन विकास या कोई यौन विकास नहीं होना शामिल है।

★ डॉक्टर को कब दिखाएं ? ★

डिस्प्रोपोर्शनेट बौनापन के लक्षण आमतौर पर जन्म से या बचपन की शुरुआत में नज़र आ जाते हैं। प्रोपोर्शनेट बौनापन तुरंत नज़र नहीं आता है। अगर आपको अपने बच्चे के संपूर्ण विकास या किसी भी अंत तरह के विकास को लेकर चिंता है तो अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं।

★ बौनेपन के कारण ★

बौनेपन के अधिकतर केस आनुवंशिक विकार के कारण होते है, लेकिन इससे जुड़े कुछ विकारों के कारण अज्ञात हैं। बौनेपन की अधिकांश धटनाएं जीन में हुई समस्या से होती हैं जैसे जीन की संरचनाओं में कमी आ जाना।

एकोड्रॉप्लासिया :-

एकोड्रॉप्लासिया वाले लगभग ८० प्रतिशत लोग औसत लम्बाई के माता-पिता के जन्मे हुए होते हैं। एकोड्रॉप्लासिया वाले व्यक्ति के बच्चों के सामान्य या इसी समस्या से ग्रसित होने की बराबर सम्भावना रहती है।

टर्नर सिंड्रोम :-

टर्नर सिंड्रोम, एक ऐसी स्थिति जो केवल लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरुप लड़कियों में होने वाल एक्स क्रोमोजोम आंशिक रुप से या पूरी तरह से गायब होता है। एक सामान्य लड़की अपने माँ-बाप दोनों से एक्स क्रोमोजोम लेती है। टर्नर सिंड्रोम वाली लड़की में एक ही फिमेल सेक्स क्रोमोजोम पूरी तरह काम करता है।

ग्रोथ हार्मोन की कमी :-

ग्रोथ हार्मोन की कमी का कारण कभी-कभी जीन को संरचनाओं को कमी या चोट लगना पाया गया है लेकिन इस विकार वाले अधिकांश लोगों में कारण की पहचान नहीं की जा सकी है।

★ अन्य कारण ★

बौनेपन के अन्य कारणों में अन्य अनुवांशिक विकार, अन्य हार्मोन में कमी या पोषण की कमी शामिल हैं। कभी-कभी कारण अज्ञात भी होते हैं।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

(N.G.O.)

संचालित

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे

सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर